



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण  
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)  
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority  
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India  
एन ए एस सी कॉम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012  
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012  
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- [la-ppvfra@nic.in](mailto:la-ppvfra@nic.in)

दिनांक: 17.08.2022

**सार्वजनिक सूचना**  
(2022 का 06)

पीपीवी और एफआर नियम, 2003 के नियम 22(2) के तहत पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने 29.06.2022 को आयोजित 33वीं बैठक में निम्नलिखित फसल प्रजातियों की मौजूदा किस्म के पंजीकरण की समय सीमा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फसल प्रजातियों का नाम	पौधा किस्म जरनल में प्रकाशित डीयूएस परीक्षण दिशानिर्देश	विद्यमान अधिसूचित किस्म और विद्यमान किस्म के पंजीकरण के लिए समय-सीमा	कृषक किस्म के पंजीकरण की समय- सीमा
1	कुल्थीी दातूँमैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम (लैम.) वर्डक.]	पौधा किस्म जरनल भाग-		
2	जरबेरा (जरबेरा जेम्सोनी एडलेम एक्स8 हूकर एफ.)	16 सं.05, मई 02, 2022	भारतीय पौधा किस्मय जरनलके प्रकाशन से 3 वर्षों की अवधि तक	भारतीय पौधा किस्मय जरनल के प्रकाशन से 10 वर्षों की अवधि तक
3	काँफ़ी(काँफ़ी अरेबिका एल. और काँफ़िया कैनेफोरा पियरे एक्सए ए. फ्रोहनेर)	प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक		
4	फ़लू-क्योर वर्जीनिया (एफसीवाई) और बीड़ी तम्बाकू (निकोटियाना टैबैकम (एल.))	01 जून, 2022 को		
5	मोठ [विग्ना एकोनिटिफोलिया (जैक.) मारेचल.]	अपलोड किया गया		
6	गवाचर फली(सायमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा एल.तौब.)			

-हस्ताक्षरित-  
(डी.के. अग्रवाल)  
महापंजीकार